

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

-:: परिपत्र ::-

क्रमांक- 01/दो-12-05/1986

दमोह, दिनांक 12 मार्च, 2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, सामान्यतः देखने में आया है कि इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकगण साधारण रंगों के वस्त्रों एवं सादगीपूर्ण औपचारिक वेशभूषा में उपस्थित न होते हुए, न्यायालय एवं कार्यालय में, जींस टी-शर्ट एवं भड़कीले रंगों वाली वेशभूषा में उपस्थित हो रहे हैं, जो कि शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय कृत्य है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/606/तीन-18-42/16 जबलपुर दिनांक 17.02.2016 के अनुक्रम में, समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकगण को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय एवं कार्यालय में, साधारण रंगों के वस्त्रों एवं सादगीपूर्ण औपचारिक वेशभूषा (Soberly & Formally Dressed) में ही, स्वेच्छापूर्वक उपस्थित रहें।

इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र.-1015/दो-12-05/1986

दमोह, दिनांक 12 मार्च, 2026

आदेशानुसार प्रतिलिपि :-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर उक्त परिपत्र का पालन सुनिश्चित करवाये जाने हेतु प्रेषित।
2. समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकगण, न्यायिक जिला स्थापना, दमोह की ओर पालनार्थ प्रेषित।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म.प्र.)